तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थीगण को बार-2 आवाजे दिलवाई गई, अनु० रहे। अन्तिम बार 5:00 PM पर आवाजे दिलवाई गई। अनु० रहे। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/3/2025 को पेश हो।	
6/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/5/25 को पेश हो।	
12/5/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/5/25 को पेश हो।	
21/5/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमि ख०स० 839/424 ग्राम सांभरवाडी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अनुसुचित जाति का वृद्ध व्यक्ति है व अप्रार्थी गुर्जर जाति के बाहुबली व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने एक गिरोह बना रखा है, जो दादागिरी के बल पर अवैध रूप से प्रार्थी को बेदखल कर उसकी भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जो मेरी कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट कर अकृषि स्वरूप में कॉलोनी काटने पर आमादा है। अप्रार्थीगण अगर अपने इस कृत्य मे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
(2)	

उसे बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, कृषि स्वरूप को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें। निर्माण कार्य नहीं करे।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि खाता सं० 114 ख० नं० 839/524 ग्राम सांभरवाड़ी प०म० डाबेरा प्रार्थी की खातेदारी मे अंकित है। विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे अंकित होने व प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होने व कब्जा काश्त होने से व अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में है।

विवादित भूमि जो कि प्रार्थी की खातेदारी मे अंकित है, पर अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लेने व कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट करने। प्लाटिंग करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की पूर्ण सम्भावना बनी हुई है।

~~अतः~~: उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के हक मे होने व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना बनी हुई है।

अतः प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 114 के ख०नं० 839/524 रकबा 0.4094 हैक्टेयर वाके ग्राम सांभरवाड़ी प०म० डाबेरा पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करने, कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट नहीं करने, भूमि को कृषि से भिन्न के रूप मे परिवर्तित नहीं करने, भूमि पर निर्माण कार्य

P.T.O →

उपखण्ड अधिकारी
डिग्गोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नहीं करने, प्लाटिंग नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कि. जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली